विविध अपीलवाद सं0 233 / 2008–09
119 / 2006–07

(बिसपत महतो वगैरह बनाम गुड्डा चमार)

अंचल अधिकारी, बिरनी के विविधवाद संख्या 19 / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2006 में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपीलार्थी श्री बिसपत महतो पे0 स्व0 शोभा महतो एवं श्री भोला महतो पे0 स्व0 खुबलाल महतो साकिनानः केशोडीह थाना बिरनी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए गए नामांतरण अपील आवेदन के आलोक में इस न्यायालय के द्वारा इसे नामांतरण अपीलवाद पंजी में वाद संख्या 119 / 2006–07 के रूप में पंजीकृत किया गया और इसी आधार पर सुनवाई की तिथियाँ भी निर्धारित की गई। दिनांक 22.10.2008 में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा एक अनुरोध आवेदन दाखिल किया गया कि उनके अपील आवेदन में टंकित नामांतरण अपील को एक टंकण त्रुटि के रूप में स्वीकार किया जाए। चूँकि यह अपीलवाद , अंचल अधिकारी, बिरनी के विविधवाद में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, इसलिए इसे विविध अपीलवाद के रूप में पंजीकृत एवं मान्यता देकर सुनवाई की प्रकिया पूरी की जाए। विज्ञ अधिवक्ता के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस अपीलवाद को नामांतरण अपीलवाद पंजी से स्थानांतरित कर उसे न्यायालय के विविध अपीलवाद पंजी में वाद संख्या 233 / 2008–09 के रूप में पंजीकृत किया गया।

अपीलार्थीपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि वादगत भूमि मौजा केशोडीह थाना नं0 143 अंतर्गत खाता नं0 100 का खेसरा नं0 2708 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व इसी खाता–खेसरा के अंतर्गत रकबा 1.60 एकड़ भूखंड की हुकुमनामा बंदोबस्ती इन्कम्बर्ड इस्टेट हजारीबाग के द्वारा गुड़ महतो वल्द गोविंद महतो के नाम से वर्ष 1944 में दी गई। बंदोबस्ती प्राप्ति के उपरांत गुड़ महतो के द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाया गया और उसपर वे दखलकार हुए। जमींदारी उन्मूलन के उपरांत कायम किए गए सरकारी पंजी ।। के जमाबंदी पृष्ठ संख्या 29 में गुड़ महतो का नाम दर्ज किया गया और लगान भुगतान के उपरांत सरकारी रसीद भी उनके नाम से निर्गत की गई। इसी 1.60 एकड़ में से 1.00 एकड़ भूखंड की बिक्री गुड़ महतो के द्वारा निबंधित केवाला संख्या 11933 दिनांक 23.8.76 के माध्यम

से श्री बिसपत महतो (अपीलार्थी संख्या–1) को की गई है। अपीलार्थी संख्या–1 के नाम से निष्पादित इस बिक्री–विलेख के नामांतरण की स्वीकृति भी अंचल अधिकारी, बिरनी के दाखिल–खारीज वाद संख्या 502/2002–03 के द्वारा दी गई है। जमींदारी हुकुमनामा, गुड़ महतो के नाम से निर्गत लगान रसीद तथा बिसपत महतो के नाम से निष्पादित केवाला के साथ–साथ सरकारी लगान रसीद की दाखिल प्रतियाँ का अवलोकन कर उनकी छाया प्रतियाँ अभिलेखवद्ध कर ली गई है। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि इसी वादगत खाता–खेसरा में ही 1.49 एकड़ भूमि की हुकुमनामा बंदोबस्ती दिनांक 28.01.1940 में इन्कम्बर्ड इस्टेट हजारीबाग के द्वारा भोला महतो के नाम से की गई। बंदोबस्ती के उपरांत भोला महतो भूमि के दखलकार हुए तथा लगान के भुगतान के उपरांत उनके नाम से जमींदारी रसीद भी निर्गत की गई। जमींदारी उन्मूलन के उपरांत कायम किए गए सरकारी पंजी ।। में भी भोला महतो के इस बंदोबस्त रकबा की जमाबंदी दर्ज की गई और वर्ष 54–55 से ही नियमित रूप से वर्ष 2006–07 तक सरकारी लगान रसीद भी भोला महतो के नाम से निर्गत की गई है। अवलोकनार्थ दाखिल किए गए मूल प्रतियों के अवलोकन के उपरांत उनकी छाया प्रतियाँ अभिलेखवद्ध कर ली गई। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपर्युक्त आलोक में यह तर्क दिया गया कि दोनों ही जमाबंदियाँ एक Long Standing Jamabandi है तथा इनमें निहित भूमि पर संबंधित रैय्यत पूर्व से ही दखलकार चले आ रहे हैं। निम्न न्यायालय के आवेदक श्री गुड्डा रविदास (इस अपीलवाद के विपक्षी) के द्वारा बंदोबस्ती वाद संख्या 11/76–77 के अंतर्गत भूमि बंदोबस्ती से संबंधित वितरित पर्चा के सीमांकन और उसपर दखल दिलाए जाने संबंधि आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय अभिलेख के अंतर्गत अंचल अमीन के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में भी यह उल्लेख किया गया है कि वादगत खाता–खेसरा अंतर्गत गुड्डा रविदास के बंदोबस्त रकबा 1.20 एकड़ में से 0.12 एकड़ भूमि आम रास्ता है, 0.33 एकड़ भूमि में सरकारी तालाब का निर्माण कार्य किया गया है तथा 0.75 एकड भूमि इस अपीलवाद के अपीलार्थीगण के कब्जे में है, जिसपर उनके द्वारा धान की खेती की जाती है। अंचल अमीन के इस प्रतिवेदन एवं महतो परिवार के साक्ष्य और स्थापित तथ्यों पर विचारण किए बिना विज्ञ अंचल अधिकारी के द्वारा उक्त वाद को खारीज किए जाने संबंधि आदेश

क्षेत्राधिकार से बाहर रहने के साथ–साथ राजस्व नियमों के प्रतिकूल भी है। अंत में विज्ञ अंचल अधिकारी के पारित आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया।

विपक्षी श्री गुड्डा रविदास के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि वादगत भूमि में से रकबा 1.20 एकड़ की सरकारी बंदोबस्ती सक्षम पदाधिकारी के आदेश के अंतर्गत वर्ष 76–77 में की गई है। बंदोबस्ती पर्चा में भूमि के संबंध में दी गई चौहद्दी भी अपीलार्थीपक्ष के द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा की चौहद्दी से भिन्न है। चूंकि वादगत खेसरा संख्या 2708 का खतियानी रकबा बहुत अधिक है, इसलिए सरकारी नीति के आलोक में श्री रविदास को उनके बंदोबस्त रकबा पर दखल दिलाया जाए।

उपर्युक्त उल्लेखित तर्क, उभयपक्ष के द्वारा दाखिल दावा–साक्ष्य के साथ–साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख के समग्र रूप में अवलोकन एवं उनके विवेचन से यह प्रतीत होता है कि उभयपक्ष के बीच भूमि का विवाद उनके सीमाना को निर्धारित किए जाने में की गई त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुआ है। अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल किए गए गुड्डा चमार के एक शपथ–पत्र के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि उन्हें बिसपत महतो एवं भोला महतो की जमीन से कोई सरोकार नहीं है। श्री चमार के बंदोबस्त रकबा में निर्मित सरकारी तालाब, आम रास्ता संबंधि प्रतिवेदन से भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। वस्तुतः वादगत खेसरा के सम्पूर्ण रकबा में से उभयपक्ष के बंदोबस्त भूमि की उल्लेखित चौहद्दी के अनुसार उनके भूमि के निर्धारण की किया से ही विवाद का निदान सम्भव है। मात्र एक पक्ष के भूमि के सीमांकन के आलोक में भूमि के दखलकार के पक्ष को समझे बिना उन्हें Tresspasser कहा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय अभिलेख विज्ञ अंचल अधिकारी, बिरनी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2006 को निरस्त करते हुए उन्हें आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष को सूचित करते हुए उनके दावा–साक्ष्य में दी गई चौहद्दी के अनुसार भू–सीमांकन का कार्य किया जाए तथा प्राप्त फलाफल के अनुसार स्थापित राजस्व नियमों के आलोक में समस्या का निदान किया जाए। यदि श्री गुड्डा चमार की भूमि पर सरकारी तालाब, आम रास्ता निर्मित है तो भूमि के खतियानी रकबा के आलोक में उपलब्ध अन्य परती भूमि पर उनके दखल और तदनुसार पर्चा की चौहद्दी में

सुधार की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पारित आदेश से उभयपक्ष को अवगत कराते हुए इसकी प्रतिलिपि निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख के साथ अंचल अधिकारी बिरनी को भेजी जाए।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गिरिडीह।